

FORM NO.111

बंद अहकाम

(नियम 28)

19-12-22

न्यायालय उपसहाय्य अधिकारी श्रीनाथोपुर (सीकर)

मालीराम पुत्र रामनाथ बनाम कंसरी देवी पत्नि हीरालाल वगैरे

किस्म मुकदमा:- विविध प्रार्थना पत्र

मुकदमा नम्बर-136/2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय तथु हस्ताक्षर जज	न्यायालय में प्रेषित हुकम की तारीख में जारी हुई
19.12.2022	<p>प्रार्थी वकील श्री सत्यदाम सिंह प्रथम एडवो के द्वारा विविध प्रार्थना पत्र कैवियट अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी पूर्व में दिनांक 14.08.2021 को न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किया गया था। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 148 (1) सीपीसी में दर्ज खसरा नम्बरान् से सम्बन्धित कोई वादपत्र / प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा निर्धारित अवधि तीन माह में पेश नहीं हुआ है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र को पेश हुए 90 दिवस से अधिक का समय हो चुका है। उक्त कैवियट प्रार्थना पत्र की निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने से कैवियट प्रार्थना पत्र को आगे लम्बित रखने का अब कोई औचित्य नहीं है। अतः कैवियट प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इसी स्तर पर फ़ैसल किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।</p>	


दिनेश सिंह
उपसहाय्य अधिकारी, श्रीनाथोपुर

